नाम - डा. प्रदीप कुमार राय
एसोसिएट प्रोफेसर, रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम।
विषय - राजनीति शास्त्र
हेतु - बी. ए. (प्रतिष्ठा) भाग-02, पेपर - 04
~~दिनांक — निषेधाधिकार की शक्ति का मूल्यांकन~~
दिनांक — 29.07.2020

टॉपिक - निषेधाधिकार की शक्ति का मूल्यांकन — विश्वशांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये महाशक्तियों को महती जिम्मेवारी देते हुये उन्हें निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान की गई थी किंतु विभिन्न प्रसंगों में यह धीरे-धीरे महाशक्तियों के स्वार्थ एवं अपने समर्थक राष्ट्रों के अनुचित हितों का रक्षक बन गया जो सुरक्षा परिषद् के कार्य में बाधक सिद्ध होने लगा। इस कारण इसके पक्ष-विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किये जाने लगे। यदि इसके विपक्ष में दिये गये तर्कों का उल्लेख किया जाये तो इसे निम्न रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है—

निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क — (1.) बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य — वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद् में बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य हो गया है तथा बहुमत का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। चार्टर के द्वारा सब सदस्यों को समान माना गया है पर वीटो की व्यवस्था इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

(2.) विश्व लोकमत की उपेक्षा — वीटो के प्रयोग द्वारा सुरक्षा परिषद् का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी कार्यवाही को विफल कर सकता है जिससे विश्व लोकमत की उपेक्षा होती है।

(3) निरंकुशता का परिणाम — वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता तथा स्वच्छन्दता का परिणाम है। इसे महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर लाद दिया है क्योंकि कोई भी महाशक्ति वीटो की अनुपस्थिति में संघ का सदस्य बनने को तैयार नहीं था।

(4) वीटो का दुरुपयोग — महाशक्तियों द्वारा वीटो का व्यापक दुरुपयोग किया गया है जिससे कि सुरक्षा परिषद् शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो गई है। गिब्स ली के शब्दों में, वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र नपुंसक है। यह महाशक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षाघात ग्रस्त कर दिया गया है।

(5) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को क्षति — इस व्यवस्था से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को क्षति पहुंची है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रों द्वारा अपनी सुरक्षा खातिर क्षेत्रीय सैन्य गठबंधनों का निर्माण किया गया है, जैसे - नाटो, सीटो, सेंटो आदि।

आलोचकों के अनुसार इस व्यवस्था के समाप्त होने से ही सुरक्षा परिषद् में बहुमत से फैसले होने लगेंगे। पामर और पर्किन्स के अनुसार किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र में लोक विश्वास को कम करने में उतना योग नहीं दिया है जितना कि सुरक्षा परिषद्

Scanned with CamScanner

में वीटो के बार-बार उपयोग अथवा दुरुपयोग ने।

निषेधाधिकार के पक्ष में तर्क - अनिवार्यता - यद्यपि वीटो व्यवस्था की कतिपय आधारों पर आलोचना की गई है किन्तु इसका रचनात्मक समस्या का समाधान नहीं कहा जा सकता है। तत्कालिन समय में सो.संघ को सं.राष्ट्र में एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में रखना आवश्यक था अन्यथा सं.राष्ट्र पश्चिमी गुट के हाथ का खिलौना बन जाता। संक्षेप में वीटो के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

(1.) पारस्परिक सहयोग — सं.रा.संघ की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिये महाशक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग हो जिसके अभाव में सामूहिक व्यवस्था संभव नहीं है।

(2.) सहयोग को बढ़ावा — वीटो की व्यवस्था ने शांति और सुरक्षा सम्बन्धी मामले में बड़े राष्ट्रों का सहयोग निश्चित करके यह भी तय कर दिया ~~कि~~ कि सुरक्षा परिषद का जो भी निर्णय होगा वह सोच विचार कर एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ होगा। इन निर्णयों को कार्यान्वित करने में 5 बड़े राष्ट्रों का सहयोग अनिवार्य होगा।

(3.) शांतिपूर्ण समाधान में सहायक — वीटो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता मिली है। इसने विभिन्न पक्षों में संतुलन बनाये रखा और किसी भी गुट को मनमाना कार्य करने से रोका।

(4.) एक दूसरे पर अंकुश - वीटो के द्वारा बड़ी शक्तियां एक दूसरे पर अंकुश रखने में सहायक सिद्ध हुई है। सं.रा. को बनाये रखने के लिये वीटो की बुराइयों को स्वीकार करना ही सार्थक है। ऐसे भी वीटो से सं.रा. की समस्त कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होती और विभिन्न एजेंसियां और संगठन अपना काम करते रहते हैं।

(5.) बड़े अशुभ को रोकने में सहायक — किसी बड़े अशुभ को रोकने में वीटो ने सहायता प्रदान की है। किसी भी एक गुट द्वारा अपने बहुमत के प्रभाव से दूसरों के विरुद्ध निर्णय बड़े खतरे को आमंत्रण देता।

(6.) वीटो का गौण होना — शांति के लिये एकता प्रस्ताव स्वीकृत होने एवं लघु आसेंबली की स्थापना से वीटो का महत्त्व गौण पड़ गया है और महासभा को विस्तृत अधिकार मिल गये हैं।

निष्कर्ष — वीटो में सुधार हेतु समय-समय पर विभिन्न सुझाव दिये गये हैं जैसे कि निर्णयों में मत संख्या बढ़ाना, सैन्य कार्यवाही में ही उपयोग, अंतिम निर्णय महासभा द्वारा लिया जाना आदि किन्तु उसमें कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सका है जो अपेक्षित नहीं है।